मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 14 सितम्बर, 2022 (भाद्र 23, शक संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:00 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

1. शासकीय वक्तव्य

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने आसंदी से यह अनुरोध किया कि पोषण आहार के संबंध में प्रदेश में कई तरह के भ्रम फैलाये जा रहे हैं, इस पर शासन एक वक्तव्य देना चाहता है ताकि सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता के समक्ष सारी स्थिति स्पष्ट हो जाए. आसंदी ने सदन को सूचित किया कि प्रश्नकाल के पश्चात् यह वक्तव्य लिया जाएगा.

डॉ. गोविन्द सिंह, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य ने आसंदी से अनुरोध किया कि पहले विपक्ष द्वारा दी गई पोषण आहार से संबंधित स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर चर्चा ले ली जाए, तत्पश्चात् मुख्यमंत्री अपना उत्तर दें, तो उचित होगा.

2. प्रश्नकाल में उल्लेख एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री गोपाल भार्गव, लोक निर्माण मंत्री द्वारा यह उल्लेख किया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री (श्री कमलनाथ) का एक बयान अखबार में आया है कि मैं यहां सदन में [* विलोपित] सुनने के लिए नहीं आता हूँ. यह आसंदी और सदन के सदस्यों का अपमान है.

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि – "विधान सभा की गरिमा बचाए रखने के लिए, विधान सभा के बारे में बाहर किसी तरह के वक्तव्य की स्वीकारोक्ति नहीं हो सकती है, यह जो आपत्तिजनक शब्द आया है, इसे विलोपित किया जाए."

3. प्रश्नोत्तर

दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 की कार्यवाही में दिनांक 26 जुलाई, 2022 की निरस्त बैठक के प्रश्नोत्तर लिए गए. प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 2 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1 एवं 2) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 121 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 149 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

4. प्रश्नकाल में उल्लेख (क्रमशः)

डॉ. गोविन्द सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने आसंदी से अनुरोध किया कि श्री मनोज चावला, सदस्य सहित हमारी पार्टी के कई सदस्यगण सदन के अंदर आ रहे थे, उनका हाथ पकड़कर एवं धक्का देकर पुलिस के अधिकारियों ने पटक दिया. क्या माननीय सदस्यों को सदन में कार्यवाही में भाग लेने के लिए रोका जा रहा है? आसंदी के इंकार करने पर डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि किसी भी विधायक की गरिमा को बनाये रखना आसंदी का और हमारा दोनों का दायित्व है. आज कुछ सम्मानीय सदस्य हाथों में तख्तियां लेकर अंदर आ रहे थे तो पुलिस ने उनको तख्तियां ले जाने से रोका था न कि सभी विधायकों को.

इस परिसर के सारे अधिकार आसंदी के पास सुरक्षित हैं. आसंदी ने व्यवस्था दी कि इस परिसर के भीतर किसी भी माननीय सदस्य के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने देने की जिम्मेदारी मेरी है और मैं उसका निर्वहन पूरी तरह से करूँगा. मैं सबको याद दिला रहा हूँ कि मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के चतुर्थ अनुसूची के नियम (ख) को पढ़ लें. उसमें मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्यों के लिए यह लिखा है कि सदन के अंदर किसी प्रकार के बिल्ले या वस्तु का प्रदर्शन सदन के अंदर नहीं करेंगे, फिर भी यदि मुझे लिखित में शिकायत प्राप्त होगी तो मैं जांच कराकर कार्यवाही करूँगा. आप लोग यहां किसी तरह आदिवासी, अनुसूचित जाति का उल्लेख न करे यहां हमारे सभी माननीय सदस्य है मैंने जांच के आदेश कर दिये हैं अभी प्रश्नकाल चलने दें.

5. गर्भगृह में प्रवेश, नारेबाजी एवं धरना

इण्डियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण द्वारा उन्हें सदन में प्रवेश करने पर पुलिस अधिकारियों द्वारा रोके जाने के विरोध में नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में प्रवेश कर धरना दिया.

व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.35 बजे 5 मिनट के लिए स्थगित की जाकर पूर्वाह्न 11.45 बजे समवेत् हुई **तदुपरांत** 11.50 बजे सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल तक के लिए स्थगित की जाकर 12.13 बजे पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

6. शासकीय वक्तव्य

पोषण आहार के संबंध में भ्रम की स्थिति निर्मित होने के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री का वक्तव्य

आसंदी ने सदन को अवगत कराया कि प्रधान महालेखाकार, ग्वालियर मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तुत ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑफ कंपलायंस ऑडिट ऑन टेक होम राशन के संबंध में भ्रम की स्थिति निर्मित होने के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे.

डॉ. गोविन्द सिंह, नेता प्रतिपक्ष, सर्वश्री कुणाल चौधरी, सज्जन सिंह वर्मा, जितु पटवारी, सदस्यगण ने आसंदी से अनुरोध किया कि पोषण आहार घोटाले पर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव रखा है. कल आसंदी ने हम लोगों को आश्वस्त किया था कि आज इस पर चर्चा करायेगे परन्तु स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा न कराकर मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पूर्व में ही वक्तव्य देना उचित नहीं है.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री, श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने औचित्य का प्रश्न उठाते हुए सदन को अवगत कराया कि 78 बार ऐसे वक्तव्य इस सदन में आये है यह कोई नई परम्परा नहीं है. सदन के नेता के वक्तव्य देने के बाद नेता प्रतिपक्ष उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं और आपने मुख्यमंत्री जी को वक्तव्य देने के लिए बुला भी लिया है इस लिए अब उनका वक्तव्य आना चाहिए.

आसंदी ने सदन को अवगत कराया कि अभी नेता प्रतिपक्ष जी ने जो सवाल खड़ा किया है उसके बारे में सुन लीजिये, दिनांक 12 मार्च 1981 को चंबल परियोजना के संबंध में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री, सिंचाई द्वारा वक्तव्य दिया गया, जिसके संबंध में सदन में अनेक तत्कालीन सदस्यों के द्वारा कतिपय जानकारियां मांगने पर उप मुख्यमंत्री द्वारा सदस्यों को स्थिति भी स्पष्ट की गई. यहां तक कि कुछ तथ्य व जानकारी उपलब्ध न होने से उसे अगले दिन शून्यकाल में सदन में देने हेतु भी आसंदी से तत्कालीन उप मुख्यमंत्री को निर्देश दिये गये.

इसी तरह 8 मार्च 2001 को सदन में वाणिज्यिक कर मंत्री द्वारा आबकारी नीति के संबंध में वक्तव्य दिया गया, तत्समय भी नेता प्रतिपक्ष के अतिरिक्त अन्य सदस्यों को अपनी बात रखने का अवसर दिया गया. ऐसे ही 16 नवम्बर 2000 को तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा सत्ता को ग्राम स्वराज के द्वारा जनता के नजदीक ले जाने संबंधी विस्तृत वक्तव्य दिया गया, जिस पर तत्कालीन माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा भी न केवल विस्तृत प्रतिक्रिया दी गई बल्कि अन्य सदस्यों द्वारा भी हस्तक्षेप के साथ तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कही गई बातों के संबंध में स्थिति भी स्पष्ट की गई. इस प्रकार शासन के वक्तव्य पर पूर्व में नेता प्रतिपक्ष के साथ अन्य सदस्यों द्वारा भी चर्चा में भाग लिया गया.

आसंदी ने यह भी व्यवस्था दी कि माननीय मुख्यमंत्री का वक्तव्य आ जाये फिर उसके बाद जितने भी सदस्य उस पर बोलना चाहेंगे तो मैं उन्हें बोलने का अवसर उन्हें दूंगा.

7. शासकीय वक्तव्य

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने पोषण आहार के संबंध में भ्रम की स्थिति निर्मित होने के परिप्रेक्ष्य में वक्तव्य दिया.

8. गर्भगृह में प्रवेश, नारेबाजी एवं धरना

इण्डियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण द्वारा उन्हें सदन में प्रवेश कर पोषण आहार में भ्रष्टाचार के विरोध में नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में प्रवेश कर धरना देकर बैठ गए.

9. अध्यक्षीय घोषणा
भोजनावकाश न होने विषयक

अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि आज भोजन अवकाश नहीं होगा. माननीय सदस्यों के लिए भोजन की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सुविधा अनुसार जाकर भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

10. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार -

(क) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, 2022 (क्रमांक 2 सन् 2022),

(ख) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (क्रमांक 3 सन् 2022),

(ग) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (क्रमांक 4 सन् 2022), तथा

(घ) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2022 (क्रमांक 5 सन् 2022)

पटल पर रखे.

11. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) डॉ. हीरालाल अलावा, सदस्य की बौद्ध गुफाएं बाग को पर्यटन के रूप में विकसित करने,

(2) डॉ. सतीश सिकरवार, सदस्य की प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आवासहीन हितग्राहियों को आवास बनाने में कठिनाई होने,

(3) श्री आरिफ अकील, सदस्य की शा.उ.मा.वि. संकुल केन्द्र निशातपुरा भोपाल के तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य एवं लिपिकों द्वारा खुलेआम भ्रष्टाचार किये जाने,

(4) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की उज्जैन में श्री विनायक मार्केटिंग द्वारा छल पूर्वक कीटनाशक औषधि विक्रय करने के पश्चात् भी एफ.आई.आर. दर्ज न किये जाने,

(5) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य की प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत रोयसेन जिले में हजारों गैस कनेक्शन लंबित होने,

(6) श्री रामपाल सिंह, सदस्य की रायसेन जिले के विकासखण्ड सिलवानी में सालाबरू जलाशय की नहर निर्माण का कार्य ग्राम पिपलिया खास में अपूर्ण होने,

(7) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य की भोपाल विधान सभा क्षेत्र दक्षिण पश्चिम की अनेक बस्तियों में सीवेज लाईन क्षतिग्रस्त होने,

(8) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य की नर्मदापुरम जिले की न.पा. इटारसी में मुख्यमंत्री पेयजल योजना अंतर्गत डाली गई पाईप लाईन से पेयजल उपलब्ध न कराये जाने,

(9) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की प्रदेश में अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किये जाने तथा

(10) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य की देवास जिले की खातेगांव स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास के रख रखाव में अनियमितता होने

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं.

12. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक मंगलवार दिनांक 13 सितम्बर, 2022 को सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों एवं वर्ष 2022-2023 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक के पुर:स्थापन, विचार एवं पारण पर चर्चा के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित किये जाने की सिफारिश की गई है :-

क्रमांक	विषय	आवंटित समय
1.	मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 6 सन् 2022)	20 मिनिट
2.	मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022(क्रमांक 7 सन् 2022)	20 मिनिट
3.	मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 8 सन् 2022)	30 मिनिट
4.	मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 9 सन् 2022)	30 मिनिट
5.	मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022 (क्रमांक 10 सन् 2022)	25 मिनिट
6.	मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022 (क्रमांक 11 सन् 2022)	20 मिनिट
7.	मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2022(क्रमांक 12 सन् 2022)	30 मिनिट
8.	मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 13 सन् 2022)	45 मिनिट
9.	वर्ष 2022-2023 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण.	2 घण्टे 30 मिनिट

समिति ने यह भी सिफारिश की कि दिनांक 17 सितम्बर, 2022 को सभा की बैठक न रखी जाए तथा इसकी पूर्ति हेतु दिनांक 14 सितम्बर, 2022 से सभा की बैठकों में भोजनावकाश न रखा जाकर सभा की बैठकें सायं 07.30 बजे तक रखी जाए.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने जिन शासकीय विधेयकों तथा वर्ष 2022-2023 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक के पुर:स्थापन, विचार एवं पारण पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

13. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री बिसाहूलाल सिंह, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(क) क्रमांक एफ 5-4/2020/उनतीस-2, दिनांक 17 अगस्त, 2021,

(ख) क्रमांक एफ 5-4/2020/29-दो, दिनांक 23 अगस्त, 2021, तथा

(ग) क्रमांक एफ 5-4/2020/29-2, दिनांक 23 अगस्त, 2021

पटल पर रखीं.

(2) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 433 की उपधारा (3) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 356 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अधिसूचनाएं-

(क) क्रमांक 395-एफ-1-246-2020-अठारह-3, दिनांक 06 नवम्बर, 2020,

(ख) क्रमांक 394-एफ-1-250-2020-अठारह-3, दिनांक 06 नवम्बर, 2020,

(ग) क्रमांक 21-एफ-32-2017-18-3, दिनांक 09 जुलाई, 2018,

(घ) क्रमांक 44-एफ-4-44-2018-18-1,दिनांक 17 दिसम्बर, 2018,

(ङ) क्रमांक 17 एफ-1-16-2021-अठारह-3, दिनांक 31अगस्त, 2021, एवं

(च) क्रमांक 01 एफ-1-15-2021-अठारह (3), दिनांक 13 जनवरी, 2022

पटल पर रखीं.

(3) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री ने मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(क) क्रमांक एफ. 2-3/2022/सात/शा.7, दिनांक 19 मई, 2022, तथा

(ख) क्रमांक एफ. 2-6-2021-सात-शा-7, दिनांक 10 अगस्त, 2022

पटल पर रखीं.

(4) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह, खनिज साधन मंत्री ने मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का 56 वां वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 57 वां वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2019-20 पटल पर रखे.

(5) डॉ.प्रभुराम चौधरी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20 पटल पर रखा.

(6) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 पटल पर रखीं.

(7) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री की अनुपस्थित में डॉ. नरोत्तम मिश्र संसदीय कार्य मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार -

(क) शहपुरा थर्मल पॉवर कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का 15 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21,

(ख) मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का 19 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21,

(ग) बाणसागर थर्मल पॉवर कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का 10 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21,

(घ) मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का 19 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21,

(ङ) मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल का 19 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21, तथा

(च) मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2020-21

पटल पर रखे.

(8) डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया, सहकारिता मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2020-21 पटल पर रखा.

(9) डॉ.मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने -

(क) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा संपरीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22, तथा

(ख) राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21

पटल पर रखा.

(10) श्री हरदीप सिंह डंग, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री ने –

(क) मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 37 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19, तथा

(ख) मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22

पटल पर रखे.

(11) श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ने मध्यप्रदेश प्लास्टिक सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ग्वालियर का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2020-21 पटल पर रखे.

(व्यवधान एवं नारेबाजी के बीच कार्यसूची में उल्लिखित विषयों पर बिना चर्चा कार्यवाही निरंतर जारी रही)

14. मार्च, 2022 सत्र की स्थगित बैठकों, दिनांक 17, 21, 23, 24 एवं 25 मार्च, 2022, की प्रश्नोत्तर सूचियां तथा प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड- 10 पटल पर रखा जाना.

अध्यक्ष महोदय ने मार्च, 2022 सत्र की स्थगित बैठकों, दिनांक 17, 21, 23, 24 एवं 25 मार्च, 2022, की प्रश्नोत्तर सूचियां तथा प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड- 10 पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

15. नियम 267-क के अधीन मार्च, 2022 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

अध्यक्ष महोदय ने नियम 267-क के अधीन मार्च, 2022 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

16. राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा के विगत सत्रों में पारित 7 विधेयकों में से एक विधेयक को माननीय राष्ट्रपति महोदय की तथा 6 विधेयकों को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई हैं, अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं. इन विधेयकों को नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे :-

क्र.	राष्ट्रपति महोदया की अनुमति प्राप्त विधेयक	अधिनियम क्रमांक
1.	दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 14 सन् 2022)	अधिनियम क्रमांक 13 सन् 2022

क्र.	राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक	अधिनियम क्रमांक
2.	मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2022 (क्रमांक 3 सन् 2022)	अधिनियम क्रमांक 7 सन् 2022
3.	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2022 (क्रमांक 4 सन् 2022)	अधिनियम क्रमांक 8 सन् 2022
4.	मध्यप्रदेश वित्त विधेयक, 2022 (क्रमांक 5 सन् 2022)	अधिनियम क्रमांक 9 सन् 2022
5.	मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 1 सन् 2022)	अधिनियम क्रमांक 10 सन् 2022
6.	मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 2 सन् 2022)	अधिनियम क्रमांक 11 सन् 2022
7.	सिविल प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 10 सन् 2022)	अधिनियम क्रमांक 12 सन् 2022

17. ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री केदारनाथ शुक्ल, सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा, सदस्यगण की सतना कृषि उपजमंडी में गबन के आरोपियों पर कार्यवाही न किये जाने एवं (2) सर्वश्री तरूण भनोत, विनय सक्सेना, सदस्यगण की जबलपुर स्थित निजी अस्पताल में अग्निकांड से कई लोगों की मौत होने संबंधी ध्यानाकर्षण की सूचनाएं व्यवधान के कारण पढ़ी हुई मानी गईं.

18. अनुपस्थिति की अनुज्ञा.

अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 26-पिछोर से निर्वाचित सदस्य, श्री के.पी. सिंह "कक्काजू", निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 105-बिछिया (अ.ज.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्री नारायण सिंह पट्टा, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 136-सिवनी-मालवा से निर्वाचित सदस्य, श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा तथा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 137-होशंगाबाद (नर्मदापुरम) से निर्वाचित सदस्य, डॉ. सीतासरन शर्मा को विधान सभा के सितम्बर, 2022 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की.

19. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति.

(1) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सभापति ने आवेदन एवं अभ्यावेदन समिति का आवेदनों से संबंधित पन्द्रहवां, सोलहवां, सत्रहवां एवं अठारहवां प्रतिवेदन तथा अभ्यावेदनों से संबंधित बीसवां एवं इक्कीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किए.

(2) श्री रामपाल सिंह, सभापति ने प्राक्कलन समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(3) श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सभापति ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का सत्ताईस से तैंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किए.

(4) श्री जालम सिंह पटेल, सभापति ने शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का पंचम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(5) श्री केदारनाथ शुक्ल, सभापति ने प्रश्न एवं संदर्भ समिति का अष्टम् एवं नवम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किए.

(6) श्री अजय विश्नोई, सभापति ने स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समिति का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किए.

(7) श्री बहादुर सिंह चौहान, सभापति ने कृषि विकास समिति का तृतीय एवं चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत किए.

20. आवेदनों की प्रस्तुति.

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-ग्वालियर शहर)
(2) श्रीमती कृष्णा गौर (जिला-भोपाल शहर)
(3) डॉ. सीतासरन शर्मा (जिला- नर्मदापुरम)
(4) श्री सुरेश राजे (जिला-ग्वालियर)
(5) श्री निलय विनोद डागा (जिला-बैतूल)
(6) श्री दिलीप सिंह गुर्जर (जिला-उज्जैन)

21. वर्ष 2022-2023 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन.

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार, वर्ष 2022-2023 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर चर्चा और मतदान के लिये दिनांक 15 सितम्बर, 2022 को 2 घंटे 30 मिनट का समय नियत किया गया.

22. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 6 सन् 2022) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्र, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 7 सन् 2022) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(3) श्री इन्दर सिंह परमार, राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा ने मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 8 सन् 2022) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(4) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री ने मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 9 सन् 2022) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

अपराह्न 1.25 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 15 सितम्बर, 2022 (24 भाद्र, शक सम्वत् 1944) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल:
दिनांक: 14 सितम्बर, 2022.